

1 (iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां
राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण

(रिपोर्टिंग वर्ष 2019-20 के अंत की स्थिति के अनुसार)
 (₹ करोड़)

श्रेणी	मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां (आवेदित राशि से भिन्न)		वर्ष के दौरान आवेदित	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा शुल्क	अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान; नकद ऋण की सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त पोषण और/अथवा कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	40512.83 (6)	39011.76 (5)	1501.07 (1)	40512.83 (6)
	वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग	23865.26 (41)	16518.76 (15)	7346.50 (26)	385.26	23480.00 (41)	104.93	104.93	...
	वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग	0.01 (1)	0.01 (1)	0.01 (1)
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	9495.00 (1)	9495.00 (1)	9495.00 (1)
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	60.87 (1)	...	60.87 (1)	60.87 (1)	88.22	7.89	...
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय भेषज विभाग	1148.67 (9)	1132.95 (9)	15.72	1148.67 (9)	88.51
	जोड़ TOTAL		75082.64 (59)	66158.48 (31)	8924.16 (28)	385.26	74697.38 (59)	281.66	112.82
2. शेयर पूंजी की वापसी अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान और सांविधिक निगमों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी अथवा जुटाए गए बांडों अथवा ऋणों, ऋण पत्रों की वापसी अदायगी के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	विद्युत मंत्रालय	7000.00 (2)	7000.00 (2)	7000.00 (2)	70.00	70.00	...
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	29000.00 (4)	21000.00 (3)	8000.00 (1)	29000.00 (4)
	रेलवे मंत्रालय	4155.67	2308.84	1846.83	4155.67	28.58	28.58	...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग	(3) 7513.97 (7)	(3) 7513.97 (7)	(3) 7513.97 (7)	29.80	59.60	...	
	जोड़	47669.64 (16)	37822.81 (15)	9846.83 (1)				47669.64 (16)	128.38	158.18	...	
3.	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, परामर्शदाताओं, आदि के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों के अनुसरण में मूलधन की वापसी अदायगी, ऋणों पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों, इत्यादि का भुगतान और अथवा सामग्री और उपस्कर की आपूर्तियों हेतु किए गये भुगतान के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	नागर विमानन मंत्रालय कोयला मंत्रालय विद्युत मंत्रालय वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इस्पात मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग आवासन और शहरी विकास मंत्रालय विदेश मंत्रालय	51048.71 (44) 692.35 (3) 44150.66 (44) 15952.23 (30) 196024.73 (200) 56.53 (3) 622.82 (1) 8434.00 (13) 359.59 (2) 1054.00 (1) 1376.82 (4) 67954.64 (8)	48848.71 (40) 631.04 (3) 38738.71 (44) 13216.91 (30) 168383.88 (173) 52.68 (3) 570.96 (1) 8130.68 (13) 359.59 (2) 1054.00 (1) 1305.20 (4) 64300.08 (7)	2200.00 (4) 61.31 (4) 5411.95 (1) 2735.32 (4) 27640.85 (27) 3.85 (3) 51.86 (1) 303.32 (13) ...	8232.60 (4) 56.39 (1) 2993.90 (1) 2557.37 (4) 28728.87 (11) 3.11 (3) 72.13 (1) 423.03 (13) 2.70 (2)	42816.11 (44) 635.96 (3) 41156.76 (43) 13394.86 (26) 167295.86 (189) 53.42 (3) 550.69 (1) 8010.97 (13) 356.89 (2) 1054.00 (1) 1234.22 (4) 67954.64 (8)	1912.76 (44) 5.55 (3) 454.05 (43) 134.44 (26) 34.03 (189) 0.22 (3) 1.43 (1) 96.23 (13) 0.96 (2) 10.54 (1) 14.38 (4) ...	54.92 (44) 5.55 (3) 454.05 (43) 135.50 (26) 34.03 (189) 0.22 (3) 1.43 (1) 96.23 (13) 0.96 (2) 2.34 (1) 14.38 (4)
	जोड़	387727.08 (353)	345592.44 (321)	42134.64 (32)	43212.70 (16)	344514.38 (337)	2664.59	799.61	...	
4.	विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्तियां अथवा दी गई सेवाओं के लिए उनको बैंकों द्वारा जारी ऋण पत्रों या प्राधिकार पत्रों पर विचार करते हुए बैंकों को प्रदान की गई प्रति गारंटियां।	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. केंद्र सरकार की कंपनियों या निगमों द्वारा बकाया और यथासमय भुगतान करने के लिए रेलवे को प्रदान की गई गारंटियां।		
6. उपर्युक्त पांच श्रेणियों से इतर अन्य गारंटियां		
कुल जोड़			510479.36 (428)	449573.73 (367)	60905.63 (61)	43597.96 (16)	466881.40 (412)	3074.63	1070.61	...

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या को इंगित करते हैं।

टिप्पणी:

- * डीईए से डीएफएस के आईएफसीआई और एक्सिम बैंक से संबंधित गारंटी की अंतरण के कारण आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग के इतिशेष और अथ शेष में अंतर हुआ है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान एमएमआरडीए (1947.37 करोड़) के संबंध में गारंटी को दर्शाया नहीं गया था और इसे इस वर्ष शामिल किया गया है।
- 1. उपर्युक्त आंकड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथा सूचित महालेखा नियंत्रक कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित हैं। ये आंकड़े बाद के रिकार्ड मिलान के कारण परिवर्तनों द्वारा प्रभावित हो सकते हैं।
- 2. वर्ष 2019-20 के लिए निवल गारंटी संवय ₹ 17,307.67 करोड़ (कॉलम 5-कॉलम 6) है। वर्ष 2019-20 के दौरान ₹60,905.63 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी जो वर्ष 2019-2020 (अं.अ.) के लिए बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. का 0.30 प्रतिशत है।
- 3. वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए (22 जनवरी, 2021 तक) ₹ 83,510.28 करोड़ की गारंटियों को वचनबद्ध/अनुमोदित किया गया है जो वर्ष 2020-21 में अनुमानित स.घ.उ. का 0.37% है तथा यह 0.5% की सीमा के भीतर है।
- 4. गारंटियां ऋण की अवधि तक वैध हैं और तत्संबंधी गारंटी करार में यथाउल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्यक्षीन निकाय द्वारा ऋण की पुनः अदायगी की सीमा तक आंशिक रूप से समाप्त हो जाएगी।